न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 157/2015

रिछपाल सिंह दत्तक पुत्र रिड़मल सिंह मृतक
1 श्रीमती किरण कंवर पत्नी रिछपाल सिंह
2 शक्ति सिंह
3 लक्ष्मण सिंह पुत्र स्व. रिछपाल सिंह
4 इचरज कंवर पुत्री स्व. रिछपाल सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम ढोलास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांटस

बनाम

1 जसवन्त सिंह पुत्र चन्दरसिंह मृतक
1/1 हनुमान सिंह
1/2 विक्रम सिंह पुत्रगण जसवन्त सिंह
1/3 मांगू कंवर पत्नी जसवंत सिंह
1/4 राज कंवर
1/5 केलम कंवर
1/6 टीमी उर्फ धीरजकंवर
1/7 सन्तोष कंवर
1/8 मीती कंवर पुत्रियां जसवन्त सिंह जाति राजपूत निवासीगण मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
2 दान सिंह
3 गुमान सिह पुत्रगण स्व. चन्दरसिंह
4 मु. सदा कंवर पत्नी स्व. रूपसिंह
5 अमरसिह पुत्र रूपसिंह मृतक
5/1 अनोप कंवर पत्नी अमरसिंह
5/2 राजेन्द्र सिंह
5/3 कुलदीप पुत्रगण अमरसिंह
5/4 सुशीला कंवर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

5/5 पुष्पा कंवर पुत्रिया अमर सिंह
6 जगदीश सिंह पुत्र स्व. रूप सिंह
7 सुरज्ञान कंवर
8 मोहनकंवर
9 लक्ष्मण कंवर पुत्रियां स्व. रूपसिंह
10 रशाल कंवर पत्नी स्व. मेघसिंह
11 विनोद कंवर
12 सुमन कंवर पुत्रियां स्व. मेघसिंह
13 उदयपाल सिंह पुत्र स्व. मेघसिंह
14 हेमकंवर पुत्री स्व. मेघसिंह नाबालिक जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता रसाल कंवर पत्नी मेघसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस/वादीगण

15 मंगेज सिंह पुत्र चन्दरसिंह दत्तक पुत्र रिडमल सिंह
16 माधोसिंह पुत्र स्व. भूरसिंह
17 विजय सिंह उर्फ बजरंगसिंह पुत्र स्व. भागीरथ सिंह
जाति राजपूत निवासी ढोलास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर ।
18 पटवारी पटवारी हल्का मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
19 उप पंजीयक नेछवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
20 तहसीलदार तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस/प्रतिवादी संख्या 2 ता 7

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2015
बउनवानी वाद जसवंत सिंह बनाम रिछपाल सिंह आदि
मुकदमा नम्बर 60/2014 न्यायालय सहायक कलेक्टर
फा.ट्रे लक्ष्मणगढ़ पीठासीन अधिकारी महावीर प्रसाद नायक
आरएएस अपील अन्तर्गत धारा 223 राज. काश्तकारी अधिनियम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील संख्या 207 / 2015

1 जसवन्त सिह पुत्र स्व. चन्दर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
2 दान सिंह पुत्र स्व. चन्दर सिंह
3 गुमान सिंह पुत्र स्व. चन्दर सिंह
4 मु. सदा कंवर पत्नी स्व. रूप सिंह
5 अमरसिंह पुत्र स्व. रूपसिंह फौत
6 जगदीश सिंह पुत्र स्व. रूपसिंह
7 सुरज्ञानकंवर पुत्री स्व. रूपसिंह
8 मोहनकंवर पुत्री स्व. रूपसिंह
9 लक्ष्मी कंवर पुत्री स्व. रूपसिंह
10 रशाल कंवर पत्नी स्व. मेघसिंह
11 विनोद कंवर पुत्री स्व. मेघसिंह
12 सुमन कंवर पुत्री स्व. मेघसिंह
13 उदयपाल सिंह पुत्र स्व. मेघसिंह
14 हेमकंवर पुत्री स्व. मेघसिंह नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता रसाल कंवर पत्नी स्व. मेघसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलान्टस

बनाम

1 रिछपाल सिंह पुत्र चन्द्रसिंह
2 मंगेजसिंह पुत्र चन्दर सिंह दत्तक पुत्र रिछपाल सिंह
3 माधोसिंह पुत्र स्व. भूरसिंह
4 विजयपाल उर्फ बजरंगसिंह पुत्र स्व. भागीरथ सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी ढोलास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
5 पटवारी पटवार हल्का मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
6 उप पंजीयक नेछवा तहसील लक्ष्मणगढ़।
7 तहसीलदार तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध ...
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2015
उनवानी वाद जसवंत सिंह आदि बनाम रिछपाल सिंह
आदि मुकदमा नम्बर 60/2014 न्यायालय सहायक कल.
फा.ट्रे. लक्ष्मणगढ़ पीठासीन अधिकारी महावीर प्रसाद नायक
आरएएस अपील अ. धारा 223 राज. काश्तकारी अधिनियम
जिसके तहत रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का काउंटर वाद आंशिक
रूप से डिक्री किया गया ।

अपील संख्या 208/2015

1 जसवन्त सिह पुत्र स्व. चन्दर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
2 दान सिंह पुत्र स्व. चन्दर सिंह
3 गुमान सिंह पुत्र स्व. चन्दर सिंह
4 मु. सदा कंवर पत्नी स्व. रूप सिंह
5 अमरसिंह पुत्र स्व. रूपसिंह फौत
6 जगदीश सिंह पुत्र स्व. रूपसिंह
7 सुरज्ञानकंवर पुत्री स्व. रूपसिंह
8 मोहनकंवर पुत्री स्व. रूपसिंह
9 लक्ष्मी कंवर पुत्री स्व. रूपसिंह
10 रशाल कंवर पत्नी स्व. मेघसिंह
11 विनोद कंवर पुत्री स्व. मेघसिंह
12 सुमन कंवर पुत्री स्व. मेघसिंह
13 उदयपाल सिंह पुत्र स्व. मेघसिंह
14 हेमकंवर पुत्री स्व. मेघसिंह नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता रसाल कंवर पत्नी स्व. मेघसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलान्टस

बनाम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

1 रिछपाल सिंह पुत्र चन्द्रसिंह
2 मंगेजसिंह पुत्र चन्दर सिंह दत्तक पुत्र रिछपाल सिंह
3 माधोसिंह पुत्र स्व. भूरसिंह
4 विजयपाल उर्फ बजरंगसिंह पुत्र स्व. भागीरथ सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी ढोलास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
5 पटवारी पटवार हल्का मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
6 उप पंजीयक नेछवा तहसील लक्ष्मणगढ़।
7 तहसीलदार तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2015
उनवानी वाद जसवंत सिंह आदि बनाम रिछपाल सिंह
आदि मुकदमा नम्बर 60/2014 न्यायालय सहायक कल.
फा.ट्रे. लक्ष्मणगढ़ पीठासीन अधिकारी महावीर प्रसाद नायक
आरएएस अपील अ. धारा 223 राज. काश्तकारी अधिनियम
जिसके तहत अपीलान्टस का वाद केवल मात्र आंशिक रूप
से डिक्री किया गया।

उपस्थिति :
1. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मुकेश बाजिया, अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 4/8/15

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर फा.ट्रे. लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 60/2014 में पारित निर्णय दिनांक 30.07.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। उपरोक्त तीनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) लक्ष्मणगढ़ में एक वाद विरूद्व रेस्पोडेन्टस के विरूद्व इन कथनों के साथ पेश किया कि वादीगण के पिता दादा व ससुर स्व. चन्दरसिंह पुत्र स्व. भगवंत सिंह के कब्जे, काश्त व अधिकार की कृषि भूमि खसरा नम्बर 263 रकबा 2.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 264 रकबा 3.7600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 265 रकबा 0.86 हैक्टेयर ग्राम मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में अवस्थित है, जिसे 60 साल पूर्व में वादीगण के पूर्वज स्व. चन्दरसिंह के कब्जे, काश्त की पैतृक भूमियां है को चन्दरसिंह के देहान्त दिनांक 08.02.1997 के बाद वादीगण अधिकारी है, जिसमें खसरा नम्बर 264 में आवासीय ढाणी बना रखी है तथा कूलदेवी माता का मंदिर स्थल बनाया था तथा ट्यूबवैल कर रखा है तथा ढाणी में घरेलू विद्युत कनेक्शन भी वादी नम्बर 1 के नाम से ले रखा है। चन्दर सिंह के बड़े पुत्र रिछपाल सिंह परिवार सहित ग्राम ढोलास में आबाद हो गया तथा कभी भी मंगलूणा नहीं आये तथा चन्दरसिंह की मृत्यु के बाद उक्त भूमि वादी नम्बर 1 ता 3 का कब्जा 1/5, 1/5 हिस्सा, वादी नम्बर 4 ता 9 का 1/5 हिस्सा व वादी संख्या 10 ता 14 का 1/5 हिस्सा कब्जा काश्त है। उक्त भूमियों के नुमाईशी खातेदार स्व. भूरसिंह अर्सा करीब 60 वर्षों से कभी भी उक्त कृषि भूमियों पर नहीं आये और न उनके वारिस प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 अपने जीवनकाल में कभी आये, किन्तु इनका नाम नुमाईशी दर्ज हो रखा है। गिरदावरी संवत 2017 से 2019 तक व जमाबंदी संवत 2015 से 2018 में वादीगण के पूर्वज चन्दरसिंह बतौर काबिज काश्तकार होकर कृषक के रूप में दर्ज है, किन्तु प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 के पूर्वज भूरसिंह का नाम प्रदर्शनी तौर पर चला आ रहा है, जिसकी जानकारी कृषि भूमि एवं ट्यूबवैल पर विद्युत कनेक्शन लेने हेतु जमाबंदी लेने पर दिनांक 05.09.2014 को हुई। वादीगण ने खाता दुरूस्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

करवाने के लिए दिनांक 10.09.2014 को प्रतिवादी नम्बर 3 को कहा तो गाली निकालकर कहा कि जमीन तुम्हारे बाप की नहीं है आपके नाम नहीं करवायेगे। प्रतिकूल कब्जे व पुराने कब्जे के आधार पर वादीगण 1/5, 1/5 हिस्सों के खातेदार उद्घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारी है। प्रतिवादी नम्बर 1 के रूप में वादीगण के बड़े भाई को पक्षकार संयोजित किया गया है तथा प्रतिवादी नम्बर 2 मंगेजसिह ग्राम ढोलास में गोद आने से प्रारूपीय पक्षकार संयोजित किये गये है, दावा डिक्री किया जावें। प्रतिवादी संख्या 4 ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 ने इंकारी का जवाब दावा मय काउंटर दावा प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों के अनुसार अपीलान्टस का वाद पूर्णतया डिक्री किये जाने योग्य था अर्थात अपीलान्टस/वादीगण वाद पत्र में चाहे गये सम्पूर्ण अनुतोष प्राप्त के हकदार थे। परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांकित 30.07.2015 के माध्यम से केवल मात्र आंशिक रूप से ही डिक्री किया गया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 माधोसिंह द्वारा पारित काउंटर क्लेम भी आंशिक रूप से डिक्री कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 माधोसिंह के काउंटर क्लेम के निर्णय के विरूद्ध वादीगण की ओर से अपील संख्या 207/2015 प्रस्तुत की गई है। वादीगण के वाद को संपूर्ण रूप से डिक्री करवाने के लिए अपील संख्या 208/2015 वादीगण की ओर से प्रस्तुत की गई है। अपील संख्या 157/2015 प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय व डिक्री विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना मनमाने ढंग से पारित की है जो अपास्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय में वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया जिसके विरूद्ध प्रतिवादी नम्बर 3 व प्रतिवादी नम्बर 1 ने वाद से इंकार करते हुए काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया तथा उक्त काउन्टर क्लेम के जवाब में पत्रावली चल रही थी। उक्त काउन्टर क्लेम का जवाब आने के बाद वाद बिन्दुओं पर तनकीयात कायम की जाकर तथा साक्ष्य लेकर ही वाद का निर्णय कानूनन किया जा सकता था किन्तु विचारण न्यायालय ने विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये बिना वादीगण का वाद डिक्री कर

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिया जो निर्णय व डिक्री अपास्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने मनमाने ढंग से वाद का निर्णय किया है। प्रतिवादी नम्बर 1 के अधिवक्ता ने बहस हेतु समय मांगा जो नहीं दिया गया तथा वाद का ताबड़तोड़ निर्णय कर दिया, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण अपास्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा काउन्टर वाद की दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से ताईद नहीं होना पाया है जबकि दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य की स्टेज ही नहीं आई तथा उस स्टेज के पूर्व ही वाद का निर्णय कर दिया इसलिए निर्णय व डिक्री अपास्त होने योग्य है।

अपीलांट ने तर्क दिया कि पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 के पूर्वज भूरसिंह पुत्र मुकन्दसिंह का नाम वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी में गलत रूप से दर्ज होना प्रमाणित होने के बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का काउंटर क्लेम खारिज किये जाने योग्य होने के बावजूद गलत रूप से आंशिक रूप से डिक्री किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 एवं 4 को वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से का काबिज खातेदार उद्घोषित किये जाने निमित डिक्री पारित की गई है जो किसी भी स्थिति में स्थिर रहने योग्य नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में अपीलान्टस का केवल मात्र आंशिक रूप से डिक्री किया गया था जबकि वादीगण/अपीलान्टस वाद पत्र में चाहे गये संपूर्ण अनुतोष बाबत डिक्री प्राप्त करने के हकदार थे। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार रेस्पोडेन्टस संख्या 3 एवं 4 के पूर्वज भूरसिंह पुत्र मुकन्दसिंह का नाम वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी में गलत रूप से दर्ज होना प्रमाणित होने के बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्टस का वाद केवल मात्र आंशिक रूप से डिक्री किया जाकर 1/2 हक, हिस्से तक ही अपीलान्टस के हक में वादग्रस्त भूमियों के खातेदारी अधिकार बाबत उद्घोषणा की डिक्री की गयी है। जबकि अपीलान्टस/वादीगण सम्पूर्ण भूमियों के काबिज, खातेदार, काश्तकार उद्घोषित होने के हक, अधिकारी है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 का काउंटर वाद भी गलत रूप से आंशिक डिक्री

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

किया गया है। अतः अपील संख्या 207/2015, 208/2015 स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) लक्ष्मणगढ़ में एक वाद विरूद्ध रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध इन कथनों के साथ पेश किया कि वादीगण के पिता दादा व ससुर स्व. चन्दरसिंह पुत्र स्व. भगवंत सिंह के कब्जे, काश्त व अधिकार की कृषि भूमि खसरा नम्बर 263 रकबा 2.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 264 रकबा 3.7600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 265 रकबा 0.86 हैक्टेयर ग्राम मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में अवस्थित है, जिसे 60 साल पूर्व में वादीगण के पूर्वज स्व. चन्दरसिंह के कब्जे, काश्त की पैतृक भूमियां है को चन्दरसिंह के देहान्त दिनांक 08.02.1997 के बाद वादीगण अधिकारी है, जिसमें खसरा नम्बर 264 में आवासीय ढाणी बना रखी है तथा कूलदेवी माता का मंदिर स्थल बनाया था तथा ट्यूबवैल कर रखा है तथा ढाणी में घरेलू विद्युत कनेक्शन भी वादी नम्बर 1 के नाम से ले रखा है। चन्दर सिंह के बड़े पुत्र रिछपाल सिंह परिवार सहित ग्राम ढोलास में आबाद हो गया तथा कभी भी मंगलूणा नहीं आये तथा चन्दरसिंह की मृत्यु के बाद उक्त भूमि वादी नम्बर 1 ता 3 का कब्जा 1/5, 1/5 हिस्सा, वादी नम्बर 4 ता 9 का 1/5 हिस्सा व वादी संख्या 10 ता 14 का 1/5 हिस्सा कब्जा काश्त है। उक्त भूमियों के नुमाईशी खातेदार स्व. भूरसिंह अर्सा करीब 60 वर्षों से कभी भी उक्त कृषि भूमियों पर नहीं आये और न उनके वारिस प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 अपने जीवनकाल में कभी आये, किन्तु इनका नाम नुमाईशी दर्ज हो रखा है। गिरदावरी संवत 2017 से 2019 तक व जमाबंदी संवत 2015 से 2018 में वादीगण के पूर्वज चन्दरसिंह बतौर काबिज काश्तकार होकर कृषक के रूप में दर्ज है, किन्तु प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 के पूर्वज भूरसिंह का नाम प्रदर्शनी तौर पर चला आ रहा है, जिसकी जानकारी कृषि भूमि एवं ट्यूबवैल पर विद्युत कनेक्शन लेने हेतु जमाबंदी लेने पर दिनांक 05.09.2014 को हुई। वादीगण ने खाता दुरूस्त करवाने के लिए दिनांक 10.09.2014 को प्रतिवादी नम्बर 3 को कहा तो गाली निकालकर कहा कि जमीन तुम्हारे बाप की नहीं है आपके नाम नहीं करवायेगे। प्रतिकूल कब्जे व पुराने कब्जे के आधार पर वादीगण 1/5, 1/5 हिस्सों के खातेदार उद्घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

खातेदारी दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारी है। प्रतिवादी नम्बर 1 के रूप में वादीगण के बड़े भाई को पक्षकार संयोजित किया गया है तथा प्रतिवादी नम्बर 2 मंगेजसिह ग्राम ढोलास में गोद आने से प्रारूपीय पक्षकार संयोजित किये गये है, दावा डिक्री किया जावें। प्रतिवादी संख्या 4 ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 ने इंकारी का जवाब दावा मय काउंटर दावा प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों के अनुसार अपीलान्टस का वाद पूर्णतया डिक्री किये जाने योग्य था अर्थात अपीलान्टस/वादीगण वाद पत्र में चाहे गये सम्पूर्ण अनुतोष प्राप्त के हकदार थे। परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांकित 30.07.2015 के माध्यम से केवल मात्र आंशिक रूप से ही डिक्री किया गया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 माधोसिंह द्वारा पारित काउंटर क्लेम भी आंशिक रूप से डिक्री कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 माधोसिंह के काउंटर क्लेम के निर्णय के विरूद्ध वादीगण की ओर से अपील संख्या 207/2015 प्रस्तुत की गई है। वादीगण के वाद को संपूर्ण रूप से डिक्री करवाने के लिए अपील संख्या 208/2015 वादीगण की ओर से प्रस्तुत की गई है। अपील संख्या 157/2015 प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत की गई है। अपील संख्या 157/2015 में प्रतिवादी संख्या 1/अपीलान्ट अपने काउंटर क्लेम को साक्ष्य से साबित करवाने में सफल नहीं रहा है। अपील मेमों में भी अपीलान्ट ने विधिक तथ्य अंकित नहीं किये है। ऐसी स्थिति में अपील संख्या 157/2015 खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण ने विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) लक्ष्मणगढ़ में एक वाद विरूद्ध रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध इन कथनों के साथ पेश किया कि वादीगण के पिता दादा व ससुर स्व. चन्दरसिंह पुत्र स्व. भगवंत सिंह के कब्जे, काश्त व अधिकार की कृषि भूमि खसरा नम्बर 263 रकबा 2.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 264 रकबा 3.7600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 265 रकबा 0.86 हैक्टेयर ग्राम मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में अवस्थित है, जिसे 60 साल पूर्व में वादीगण के पूर्वज स्व. चन्दरसिंह के कब्जे, काश्त की पैतृक भूमियां है को चन्दरसिंह के देहान्त दिनांक 08.02.1997 के बाद वादीगण अधिकारी है, जिसमें खसरा नम्बर 264 में आवासीय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

ढाणी बना रखी है तथा कूलदेवी माता का मंदिर स्थल बनाया था तथा ट्यूबवैल कर रखा है तथा ढाणी में घरेलू विद्युत कनेक्शन भी वादी नम्बर 1 के नाम से ले रखा है। चन्दर सिंह के बड़े पुत्र रिछपाल सिंह परिवार सहित ग्राम ढोलास में आबाद हो गया तथा कभी भी मंगलूणा नहीं आये तथा चन्दरसिंह की मृत्यु के बाद उक्त भूमि वादी नम्बर 1 ता 3 का कब्जा 1/5, 1/5 हिस्सा, वादी नम्बर 4 ता 9 का 1/5 हिस्सा व वादी संख्या 10 ता 14 का 1/5 हिस्सा कब्जा काश्त है। उक्त भूमियों के नुमाईशी खातेदार स्व. भूरसिंह अर्सा करीब 60 वर्षों से कभी भी उक्त कृषि भूमियों पर नहीं आये और न उनके वारिस प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 अपने जीवनकाल में कभी आये, किन्तु इनका नाम नुमाईशी दर्ज हो रखा है। गिरदावरी संवत 2017 से 2019 तक व जमाबंदी संवत 2015 से 2018 में वादीगण के पूर्वज चन्दरसिंह बतौर काबिज काश्तकार होकर कृषक के रूप में दर्ज है, किन्तु प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 के पूर्वज भूरसिंह का नाम प्रदर्शनी तौर पर चला आ रहा है, प्रतिकूल कब्जे व पुराने कब्जे के आधार पर वादीगण 1/5, 1/5 हिस्सों के खातेदार उद्घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारी है। प्रतिवादी नम्बर 1 के रूप में वादीगण के बड़े भाई को पक्षकार संयोजित किया गया है तथा प्रतिवादी नम्बर 2 मंगेजसिह ग्राम ढोलास में गोद आने से प्रारूपीय पक्षकार संयोजित किये गये है, दावा डिक्री किया जावें। प्रतिवादी संख्या 4 ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 ने इंकारी का जवाब दावा मय काउंटर दावा प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांकित 30.07.2015 के माध्यम से केवल मात्र आंशिक रूप से ही डिक्री किया गया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 माधोसिंह द्वारा पारित काउंटर क्लेम भी आंशिक रूप से डिक्री कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 माधोसिंह के काउंटर क्लेम के निर्णय के विरूद्ध वादीगण की ओर से अपील संख्या 207/2015 प्रस्तुत की गई है। वादीगण के वाद को संपूर्ण रूप से डिक्री करवाने के लिए अपील संख्या 208/2015 वादीगण की ओर से प्रस्तुत की गई है। अपील संख्या 157/2015 प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का विस्तृत विवेचन किया है। इसके अनुसार वर्तमान जमाबंदी ग्राम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

मंगलूणा सं. 2061–64 में खसरा नम्बर 263, 264, 265 किता 3 रकबा 6.86 हैक्टेयर पर भूरसिंह पुत्र मुकन्दसिंह जाति राजपूत सा.ढो. खातेदार दर्ज है। नकल जमाबंदी सं. 2015–2018 में खसरा नम्बर 263, 264 पर भूरसिंह पुत्र मुकन्दसिंह व इसके नीचे चन्दरसिंह पुत्र भगवतसिंह राजपूत सा.ढोलास खातेदार दर्ज है। चन्दरसिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति पेश हुई है। खसरा गिरदावरी सं. 2016–19 में चन्द्रसिंह बदस्तूर की काश्त अंकित है लेकिन खातेदार में भूरसिंह का नाम भी आया है। नकल जमाबंदी सं. 2015 से 2018 में वादग्रस्त आराजी भूरसिंह व चन्द्रसिंह के नाम की है। वादीगण ने करीब 60 साल से वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त साधिकार व शांतिपूर्वक होना कथन किया है दस्तावेजी रिकार्ड में भी भूरसिंह के साथ चन्द्रसिंह का नाम आया है। उक्त प्रस्तुत रिकार्ड से यही प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजी अकेले वादीगण के पूर्वज चन्द्रसिंह की न होकर भूरसिंह पुत्र मुकन्दसिंह की भी रही है। इसलिए वादीगण का 1/2 हिस्से में ही साधिकार निरंतर कब्जा काश्त होने से वादीगण 1/2 हिस्से के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है एवं हिस्सा 1/2 भूरसिंह के विधिक वारिसान का ही होना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से विवादित भूमि में 1/2 हिस्से में वादीगण 1 से 3 प्रत्येक को 1/5, वादी संख्या 4 से 9 को 1/5, वादी संख्या 10 से 14 को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने में एवं प्रतिवादी संख्या 3 का काउंटर क्लेम आंशिक स्वीकार कर विवादित भूमि में 1/2 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार उद्घोषित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः विचारण न्यायालय के इस निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है। फलस्वरूप अपील संख्या 207/2015, 208/2015 खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

जहां तक अपील संख्या 157/2015 का प्रश्न है विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं विचाराधीन निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपील संख्या 157/2015 के अपीलान्ट रिछपाल/मूलवाद के प्रतिवादी संख्या 1 के काउंटर क्लेम के संदर्भ में पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1/अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अपील के स्तर पर अपीलान्ट किसी प्रकार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया जाता है। फलत अपील सख्या 157/2015 भी खारिज योग्य पाई जाती है। अपीलान्ट रिछपाल सिंह अपने हक अधिकार के निर्धारण के लिए नये सिरे से विचारण न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील संख्या 157/2015, 207/2015 व 208/2015 खारिज की जाती है। अपीलान्ट रिछपाल सिंह अपने हक अधिकार के निर्धारण के लिए नये सिरे से विचारण न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 4/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर